न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 09 / 2021

प्रविष्टि दिनांक 14.01.2021

रामप्रसाद गुर्जर पुत्र धूलीलाल जाति गुर्जर निवासी गलवानिया तहसील उनियारा जिला टोंक,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम गलवानिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तक निरीक्षक उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.12.2020 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः—

1. श्री विक्रम जैन,अभिभाषक —अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार —रेसपाडेन्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 20.07.2022

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 23.12.2020 से श्री रामप्रसाद गुर्जर,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम गलवानिया तहसील उनियारा का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 23.12.2020 को अपीलांट का लाईसेंस निरस्त कर उसकी प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एंव अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है । आदेश 1976 के नियम 8 (2) यह कहता है कि "No Order Of Cancellation shall be made under this order unless the authorisation holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation अर्थात उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलांट का उक्त लाईसेंस निरस्त करने से पूर्व अपीलांट को युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था। तथाकथित शिकायतकर्ताओं की भी प्रवर्तक निरीक्षक ने न्यायालय जिला रसद

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी टोंक के समक्ष पेश नहीं किया है। शिकायतकर्ताओ से जिरह करने का भी अपीलांट को अवसर प्रदान नही किया गया है और विधि विरूद्ध तरीके से उक्त आदेश पारित किया है। जिला रसद अधिकारी टोंक नें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित जाकर उक्त आदेश पारित किया है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है,जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही है। प्रर्वतक निरीक्षक के बयान उक्त प्रकरण मे लेखबद्ध नही हुए है और ना ही प्रर्वतक निरीक्षक से जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया है। राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 व 9 दण्डात्मक धारा है,उक्त दण्डात्मक धाराओ में अपराध को साबित करने के लिये सन्देह से परे साक्ष्य पेश होनी चाहिये थे,जो पेश नहीं किये गये है। जिला रसद अधिकारी ने मात्र राजनैतिक दबाव के कारण अपीलांट का लाईसेंस निरस्त कर कानूनी भूल की है। उपभोक्ता प्रहलाद माली को राशन की सामग्री पोश मशीन से ट्रांजेक्शन कर दी गई है और राशनकार्ड मे भी इसका इन्द्राज है, शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत अपीलांट की गई है। उपभोक्ता छोटूलाल को भी राशनकार्ड में उल्लेखानुसार सामग्री दी गई है,उसे कोई कम सामग्री नही दी गई है,उसके उपरांत भी शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत की गई है। उपभोक्ता बाबूलाल को भी नियमानुसार राशन सामग्री दी गई है,उसका इन्द्राज उपभोक्ता के राशनकार्ड में किया गया है। उपभोक्ता रामबिलास द्वारा भी झूठी शिकायत अपीलांट के विरूद्ध की गई है, रामबिलास द्वारा राशनकार्ड नहीं लाये जाने के कारण अपीलांट ने उसके आधारकार्ड के आधार पर उसको माल दिया गया था, इस कारण रामबिलास को दिये गये माल का इन्द्राज उसके राशनकार्ड मे नही किया गया, उपभोक्ता घनश्याम बैरवा की राशन सामग्री उसकी पुत्री रामघणी को दी गई थी, इस सम्बन्ध मे उपभोक्ता घनश्याम बैरवा ने शपथ पत्र भी पेश किया गया था, लेकिन उसके उपरांत भी घनश्याम बैरवा द्वारा केवल मात्र पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अपीलांट के विरूद्ध झूठी शिकायत की है। उपभोक्ता गोरीशंकर पुत्र गणेश के राशनकार्ड के अनुसार उन्हें राशन सामग्री वितरित की गई है। राशन डीलर से उनको प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राशन सामान प्राप्त कर लिया है और इस बाबत उनके द्वारा एक शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जसोदा पत्नि राधेश्याम की सदस्य कविता द्वारा गेहू व चीनी कम प्राप्त करना बताया है, जबकि उन्हें नियमानुसार गेहू व चीनी दी गई है और स्वंय कविता भी उक्त तथ्यो को मानती है। उपभोक्ता गंगादेवी पत्नि रामचन्द्र को भी उसके राशनकार्ड के अनुसार सामग्री दी गई है और उसका ऑन लाईन ट्राजेंक्शन भी किया गया है और उसे 8 किलोग्राम चीनी एंव 205 लीटर केरोसीन कम नही दिया गया है। मुकेश गुर्जर को भी सम्पूर्ण राशन सामग्री दी गई है,उसे 60 किलो गेहू व 1 किलो दाल कम प्राप्त नही हुई है । उपभोक्ता हनुमान को भी विधि अनुसार सामग्री दी गई है। जिला रसद अधिकारी ने उपरोक्त दस्तावेजात का सही रूप से अवलोकन किये बिना साक्ष्य सबूत के विपरित जाकर बिना स्पीकिंग आदेश पारित किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। अपीलांट राशन डीलर द्वारा कोई अनियमितता नही की गई है। अपीलांट द्वारा समय पर राशन सामग्री वितरित की गई है और समय पर दुकान खोली जाती है। अपीलांट के विरूद्ध मात्र राजनैतिक द्वेवषता वंश झूठी शिकायत करवायी गई है और विधि विरूद्ध तरीके से उक्त आदेश पारित किया गया है। भौतिक सत्यापन में कोई माल/सामग्री की कमी नही पायी गई है और ना ही रिकार्ड से अधिक माल/सामग्री प्राप्त हुई है। अपीलांट द्वारा नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्य किया जा रहा था। अपीलांट नियमानुसार अपना स्टॉक एंव अन्य सूचनाएं [illegible] मासिक रिटर्न सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी आदेश की शर्तो का उल्लधंन नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

पेशकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनांक 21.07.2020 को ग्राम गलवानिया तहसील उनियारा के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामप्रसाद गुर्जर की शिकायत की जांच प्रवर्तन स्टाफ के दल द्वारा कर दिनांक 29.07.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट में उपभोक्ता प्रहलाद माली राशनकार्ड सं 009365915016 अत्योदय को फरवरी,मार्च, अप्रेल,मई,अक्टूबर, 2018 एवं फरवरी,अप्रेल,2019 में 3–3 किलोग्राम चीनी का ऑनलाईन ट्रांजेक्शन किया गया,परन्तु उपभोक्ता के बयाननुसार उसे 1–1 किलोग्राम चीनी ही अप्रार्थी डीलर द्वारा दी गयी। उपभोक्ता छोटूलाल अन्त्योदय राशनकार्ड सं.009365915030 के सदस्य श्री सत्यनारायण ने मौके पर बताया कि उक्त राशन कार्ड पर उन्हें कम सामग्री दी गई है। उपभोक्ता बाबूलाल एपीएल राशनकार्ड सं.009365900095 में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कम सामग्री दी गई है। उपभोक्ता रामविलास राशनकार्ड सं.009365915047 ने स्वयं बताया कि उसे माह सितम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक कुल 5 ट्रांजेक्शन का केरोसीन प्राप्त नहीं हुआ है। उपभोक्ता घनश्याम बैरवा राशनकार्ड सं. 9365815026 की उपस्थित सदस्या सुगना देवी ने बयान में बताया कि उसे माह अप्रेल,मई व जून में अतिरिक्त वितरण किए गेहूं में से अप्रेल व मई में 50–50 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ तथा जून 2020 का 25 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ,जबकि उपभोक्ता के राशनकार्ड में 6 यूनिट दर्ज है। सुगना देवी ने बताया कि 4–5 वर्ष पहले उसके पति का देहान्त हो गया,जिसके बाद उसे पोस मशीन से 25 किलोग्राम गेहूं हर माह दिया है,जबकि उपभोक्ता के राशनकार्ड पर जुलाई 2016 से राशनकार्ड में देय पूरी सामग्री 30 किलोग्राम गेहूं का ऑनलाईन ट्रांजेक्शन किया गया है। उपभोक्ता ने बयान में बताया कि डीलर द्वारा उसके पति के यूनिट का गेहूं उसे नहीं दिया गया जबकि पोस मशीन से निकाला गया है। उपभोक्ता के राशनकार्ड में भी 25 किलोग्राम गेहूं वितरण की प्रविष्टी दर्ज पायी गयी है। उपभोक्ता गोरीशंकर पुत्र गणेश राशनकार्ड सं. 9365800032 की सदस्या सम्पत देवी ने बताया कि उन्हें जून 2020 का अतिरिक्त गेहूं प्राप्त नहीं हुआ। उपभोक्ता जसोदा पत्नी राधेश्याम राशनकार्ड सं.9365915028 की सदस्य कविता ने मौके पर बताया कि डीलर द्वारा कम सामग्री दी गई है।उपभोक्ता गंगा देवी राशनकार्ड सं. 200000707786 की सदस्य आशा देवी ने बताया कि उसे पिछले 2 साल से चीनी व केरोसीन नहीं मिला,जबकि राशन कार्ड पर मार्च 2019 से केरोसीन व चीनी का ऑनलाईन ट्रांजेक्शन किया गया है,जो उसे प्राप्त नहीं हुआ है। उपभोक्ता मुकेश गुर्जर राशनकार्ड सं. 9365915020 ने मौके पर बताया कि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन अनुसार उसे कम सामग्री प्राप्त हुई है।उपभोक्ता हनुमान राशनकार्ड सं. 93659000017 ने बताया कि डीलर द्वारा ऑनलाईन ट्रांजेक्शन कर उसे कम सामग्री दी गई है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा लगभग उपभौक्ताओ को क्रमशः 760 किलोग्राम गेहूँ, 33 किलोग्राम चीनी, 228 लीटर केरोसीन और 3 किलोग्राम दाल कम दी गई है और मौके पर उपस्थित अन्य उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर द्वारा समय पर दुकान नहीं खोली जाती है एवं स्वयं डीलर वितरण नहीं करता है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 28.10.2020 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण कर दिया गया है। डीलर के जवाब पर प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा से टिप्पणी ली गयी । प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया कि उपभोक्ताओं ने वक्त निरीक्षण कम राशन प्राप्त होना बताया था। जवाब में डीलर द्वारा शपथ–पत्र (शिकायतकर्ता का) प्रस्तुत करते हुए पूर्ण राशन प्राप्त करना [illegible] जांच तथा अप्रार्थी डीलर में परस्पर भिन्नता पाई गई हैं। अतः डीलर द्वारा अनबोध उ[illegible]श्रेणी के रूप में संशोधनात्मक कार्यवाही करते हुए राशन सामग्री दी गई है [illegible] अप्रार्थी डीलर [illegible] की गई अनियमितता नोटिस में दिये गये तथ्यों अनुसार प्रमाणित है। राशन [illegible] उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहू का दुरूपयोग [illegible]रना, केरोसीन,चीनी एंव दाल का

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपभोक्ताओं को कम वितरण कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। श्री रामप्रसाद गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम गलवानिया तहसील उनियारा की शिकायत की जांच प्रवर्तन स्टाफ के दल द्वारा कर दिनांक 21.07.2020 को जांच कर रिपोर्ट दिनांक 29.07.2022 को प्रस्तुत की गई। जांच मे उपभोक्ता प्रहलाद माली राशनकार्ड सं.009365915016 अत्योदय को फरवरी,मार्च, अप्रेल,मई,अक्टूबर, 2018 एवं फरवरी,अप्रेल,2019,उपभोक्ता छोटूलाल अन्त्योदय राशनकार्ड सं. 009365915030 के सदस्य श्री सत्यनारायण को,उपभोक्ता बाबूलाल एपीएल राशनकार्ड सं. 009365900095 में जनवरी 2020 से जून 2020 तक,उपभोक्ता रामविलास राशनकार्ड सं. 009365915047 ने स्वयं बताया कि उसे माह सितम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक कुल 5 ट्रांजेक्शन का केरोसीन,उपभोक्ता घनश्याम बैरवा राशनकार्ड सं. 9365815026 की उपस्थित सदस्या सुगना देवी को, उपभोक्ता गोरीशंकर राशनकार्ड सं. 9365800032 की सदस्या सम्पत देवी को,उपभोक्ता जसोदा राशनकार्ड सं.9365915028 की सदस्य कविता को,उपभोक्ता गंगा देवी राशनकार्ड सं. 200000707786 की सदस्य आशा देवी को, उपभोक्ता मुकेश गुर्जर राशनकार्ड सं. 9365915020 को,उपभोक्ता हनुमान राशनकार्ड सं. 93659000017, के सभी उपभोक्ताओ को अप्रार्थी डीलर द्वारा द्वारा लगभग क्रमशः 760 किलोग्राम गेहूँ, 33 किलोग्राम चीनी, 228 लीटर केरोसीन और 3 किलोग्राम दाल कम दी गई है,जो जांच रिपोर्ट से सिद्व है और साथ ही मौके पर उपस्थित अन्य उपभोक्ताओं ने भी अवगत कराया है कि डीलर द्वारा समय पर दुकान नहीं खोली जाती है एवं स्वयं डीलर वितरण नहीं करता है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 09.09.2020 मे स्वंय ने स्वीकार किया है कि सभी उपभोक्ताओ को सामग्री का वितरण कर दिया गया है और दिनांक 25.07.2020 को उपभोक्ता सुगना देवी,सम्पत देवी व आशा देवी से शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करवाया गया है कि हमने सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त कर ली है और अब राशन डीलर से कोई शिकायत नही है,अब हम राशन डीलर के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है,परन्तु वक्त जांच दिनांक 21.07.2020 को उपभोक्ता सुगना देवी को 270 किलोग्राम गेहूँ,सम्पत देवी को 30 किलोग्राम गेहूँ व 2.5 लीटर केरोसीन तथा आशा देवी को 8 किलोग्राम चीनी व 205 लीटर केरोसीन कम दिया गया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो मे अंकित किया कि है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एंव अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.10.2020 का अवलोकन करने से जाहिर होता है अप्रार्थी डीलर ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी डीलर को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन [illegible] किया है।

डीलर द्वारा शपथ–पत्र (शिकायत[illegible]) [illegible] पूर्ण राशन प्राप्त करना कहा गया है। इस प्रकार जांच रिपोर्ट तथा अप्रार्थी डीलर में [illegible]पर भिन्नता है। अतः डीलर द्वारा अनुबोध उत्तरचिंतन श्रेणी के रूप में संशोधनात्मक कार्यवाही करते हुए राशन सामग्री दी गई है। अप्रार्थी डीलर द्वारा की गई अनियमितता नोटिस में दिये [illegible] तथ्यों अनुसार प्रमाणित है। डीलर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

द्वारा बाद में गेहूॅ,केरोसीन एंव चीनी उपभोक्ताओ को दी गई जो जांच रिपोर्ट एंव उपभोक्ताओ द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो से जाहिर है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूॅ,केरोसीन,चीनी तथा दाल का उपभौक्ताओ को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लधंन किये जाने के फलस्वरूप इसी आदेश की धारा 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियो के अध्याधीन प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 23.12.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested